

FORM-1

(for linear projects)

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag**

No--- 49

Dated 19-03-2015**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.4625 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Chopra-Dungri-Chapar Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Temna, Pali,, Dungri, Semalsari village (s) in Rudraprayag tehsils.**

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Raghav
 (Dr. Raghav Langer) Signature
 (Full name and official seal of the District Collector)

70 *सिला अधिकारी*
रुद्रप्रयग


**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date **19-03-2015** at time **2:00PM**...at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **1.4625 hect** for the Construction of **Chopra-Dungri-Chapar Motor Road (2.775 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 19/03/2015


(Raghav Langer)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag


प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :— जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी।)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :— चोपड़ा
तहसील अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उक्त स्थान में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी।) परियोजना के निर्माण हेतु (0.0000 हेठा आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हेठा सिविल सोन्हन भूमि, 1.4625 हेठा वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4625 हेठा वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संरक्षा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जुंगरी द्वारा दिनांक 03/12/2014 को सन्दर्भ ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु जावेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जुंगरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण दिनान प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्राप्तिक्रिया जो सत्य एवं सही है।

हेठा/
ग्राम पंचायत विवेचन अधिकारी
द्वारा दिनांक 03/12/2014

नोट—यदि किसी उदाहरण की अवधारणा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



प्रपत्र-23.1


परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चौपड़ा-दूंगी-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी)

दिनांक २५/१२/२०१४ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डुंगी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	की हनुमत सिंह दुलाला	की हनुमत
2 -	" छिशाल यिंद दुलाला	छिशाल
3 -	" रमेहरनद	Ramheran
4 -	" शारद श्रुष्णा	शारद
5 -	" अनुधना सिंह	अनुधना
6 -	" हिमला सिंह	हिमला
7 -	" लक्ष्मण सिंह	Lakshman
8 -	" दिवाला सिंह	दिवाला
9 -	कमली दोदोदा देवी	कमली
10 -	" अमिली देवी	अमिली
11 -	" चानी देवी	चानी
12 -	" दोपदेवी	दोपदेवी
13 -	की कलाला	Kalala
14 -	" काजी देवी	काजी
15 -	" ताला देवी	ताला
16 -	" विक्रमा	Vikram
17 -	" प्रकाशा	Prakash
18 -	" प्रभा	Prabha
19 -	" लघनी देवी	लघनी
20 -	" श्रद्धवीरा	Sreedhaviraa
21 -	" सत्या	Saty
22 -	" दृष्टा दुलाला	दृष्टा

संलग्न है



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :— जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंगी-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रुद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रभाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि।

रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंगी-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी) (0.0000 हेतु आरक्षित वन भूमि 0.0000 हेतु सिविल सोयम भूमि 1.4625 हेतु वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4625 हेतु वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक _____ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय रादस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| १- श्री <u>पत्रस्थिट-माई</u> उपजिलाधिकारी | <u>२५५५११</u> | अध्यक्ष |
| २- श्री <u>सोहन लाल</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>२५५५११</u> | सदस्य |
| ३- श्री <u>इन्द्रजीत माई</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी <u>२५५५५५</u> | सदस्य / सचिव | <u>११</u> |
| ४- श्री <u>शिव लाल</u> बी०डी०सी० दोत्र <u>१११२५५५५</u> | सदस्य | <u>११</u> |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में रवागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंगी-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी) परियोजना हेतु 1.4625 हेतु वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के रामक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की जाएगी।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंगी-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 1.4625 हेतु वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति घोषित की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष ११
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद

उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

सदस्य द्वेष प्रधान 25-पारपाल
विभाग अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)